मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :– 076 / 2024

नारायण राम पुत्र शादीराम जाति मेघवाल निवासी रताखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा :–88 आर.टी.ए.घोषणा व 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 31:05:2024

वादी की ओर से श्री कुन्दनलाल अधिवक्ता की व पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 31:05:2024 को स्वाति गुप्ता उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है चक नम्बर 5 जी.जी.आर. जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 78 / 138 में अंकित 0.253 हैक्टर भूमि मे दर्ज नाम निराणाराम पुत्र शादीराम के स्थान पर वादी का सही नाम नारायणराम पुत्र शादीराम दर्ज कर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगें। यह डिक्री आज दिनांक 31:05:2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 11:02:22 IST
Reason: SelfAttested

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner